

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/170159/MRB/MORADABAD/2882/CFO

दिनांक: 28-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHIRDI SAI PUBLIC SCHOOL BY SAI SANSKRITI TRUST** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **SAI NAGAR KANTH ROAD AGHWANPUR MORADABAD 244001, KANTH ROAD, MORADABAD** तहसील - **MORADABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SHIRDI SAI P SCHOOL	4	0	13.69 mt.

तथा प्लॉट एरिया **10464.32 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHIRDI SAI PUBLIC SCHOOL BY SAI SANSKRITI TRUST** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-09-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANOJ KUMAR AHUJA Joveesakash@Gmail.Com** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-09-2025** से **05-09-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : एफएसओ द्वारा अपलोड अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन हेतु यूआईडी संख्या UPFS/2022/56377/MRB/MORADABAD/819/CFO दिनांक:14-07-2022 को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्गत है। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के व्यवस्थापन/संचालन हेतु फायर ऑपरेटर 24*7 उपलब्ध रखा जाए। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अधिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। एफएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर नवीनीकरण निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-09-2025
स्थान : MORADABAD

Digitally Signed By
(Rajeev Kumar Pandey)

[CE1C216539CD27F8EC5D8E75C5BA91CD8952485C]

06-09-2025